...यालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीनिधि. बी.टी, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 4/2019 RCMS No. 2019/00207
दायरा तिथि : 15.01.2019
आदेश तिथि : 11-11-2019

प्रार्थीनी :–
श्रीमति सोहनकंवर पत्नि शिवसिंह जाति राजपुत
निवासी पादरला तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–
सुखसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपुत के कायम मुकाम वारिशानः–
1. दलपतसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह
2. बलवन्तसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह
3. ईश्वरसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह
4. विजयसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह
5. शोभाकंवर पत्नि स्व0 सुखसिंह
6. कमला कंवर पुत्री स्व0 सुखसिंह तमाम जाति राजपुत
   निवासी पादरला तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित नियम–68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

आदेश दिनांक : 11-11-2019

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि पादरला के खसरा नंबर 685, 685/1, 685/2 हैक्टर मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अन्य खातेदार श्री सुखसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपुत नि0 पादरला की खातेदारी भूमि ग्राम पादरला के खसरा नंबर 686 रकबा 0.68 हैक्टर किस्म नहरी सोयम मे से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियॉ भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही अप्रार्थी को आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी की ओर से वकील श्री समुन्दरसिंह राठौड ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण के चलते अप्रार्थी सुखसिंह का देहान्त होने से उनके विधिक वारिशान को रेकर्ड पर लिया गया। कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने के बाद कायम मुकाम को नोटिस जारी किये जाने पर समस्त कायम मुकाम की ओर से वकील श्री समुन्दरसिंह राठौड ने वकालतनामा प्रस्तुत करते हुये आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में यह आपत्ति ली गई कि प्रार्थीनी ने अप्रार्थीगण की गेर खातेदारी भूमि खसरा नंबर 672 व 686 के माठ के पास रास्ता चाहा है, उक्त दोनो खसरा अप्रार्थीगण के ही होने से प्रार्थीनी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने पर अप्रार्थीगण की भूमि के दो टूकडे हो जायेगे, जो विधि सम्मत नहीं है तथा अप्रार्थीगण को इससे असुविधा होगी। निरीक्षक भू0अभिलेख बीजापुर द्वारा जो मौका रिपोर्ट बनाई है वह भी एक तरफा देखी गई है, अप्रार्थीगण को किसी को भी मौके पर नहीं बुलाया व न ही किसी के हस्ताक्षर करवाये हैं। प्रार्थीनी के खेत खसरा नंबर 685, 685/1 व 685/2 में आने जाने के लिये आम रास्ता जो पादरला से गोचर की ओर जाता है, खसरा नंबर 675 व 674 मेंसे रास्ता दिया जाय तो उत्तम रहेगा व प्रार्थीनी को समय की भी बचत रहेगी। अप्रार्थीगण की भूमि से प्रार्थीनी के रास्ते का आवेदन पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बाली ने मय भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2019/899 दिनांक 30.05.2019 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की गईः—

1. ग्राम पादरला के खसरा नंबर 685 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नंबर 685/2 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि सोहनकंवर पत्नि शिवसिंह जाति राजपूत निवासी पादरला व खसरा नंबर 685/1 रकबा–

पेज लगातार......02

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 4/2019 RCMS No. 2019/00207 अनवान सोहनकंवर बनाम सुखसिंह के कायम मुकाम वारिशान दलपतसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

0.45 हैक्टर किस्म नहरी सोयम भूमि श्री धन्नाराम पुत्र रूघा कौम लुहार (रकबा 0.13 हैक्टर) व सोहनकंवर पत्नि शिवसिंह जाति राजपुत निवासी पादरला (रकबा 0.32 हैक्टर) कुल रकबा 0.45 हैक्टर के नाम से संयुक्त खातेदारी की दर्ज हैं। आवेदक खातेदार की भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं हैं वर्तमान में आवेदक इसी खेत की माठ के सहारे आना जाना करते हैं।

2. रास्ता हेतु प्रस्तावि भूमि खसरा नंबर 686 का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म भूमि	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
01	686	0.68	नहरी सोयम	4X 60 = 240 व.मी. (0.0240 हैक्टर)	श्री सुखसिंह पुत्र नाहरसिंह के कामु. दलपतसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह वगैरा जाति राजपूत नि. पादरला

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बीजापुर की डी.एल.सी. दर 34740/–रूपये प्रति बीघा हैं।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं है तथा न ही अन्य किसी प्रकार की क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त से वकील प्रार्थीनी श्री गणपतलाल चौधरी व वकील अप्रार्थीगण श्री समुन्दरसिंह राठौड की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी श्री समुन्दरसिंह राठौड ने बहस में अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि पादरला के खसरा नंबर 686 की भूमि अप्रार्थीगण के गैर खातेदार की भूमि है, तथा प्रार्थीनी द्वारा चाहा गया रास्ता अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी भूमि खसरा नंबर 686 व 672 की माठ से चाहा गया है, तथा निरीक्षक भू0अभिलेख बीजापुर में भी अप्रार्थी को सुने बिना एक तरफा रिपोर्ट तैयार करते हुये खसरा नंबर 686 व 672 की माठ से प्रस्तावित कर दिया गया, जबकि प्रार्थीनी के खेत तक पहुँच के लिये आम रास्ता जो पादरला से गोचर की ओर जाता है, खसरा नंबर 675 व 674 मेंसे रास्ता दिये जाने पर निकटतम रास्ता होगा, धारा 251 ए के प्रावधानो अनुसार निकटमल रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत् प्राविधित किया गया है, जबकि प्रस्तावित रास्ता निकटम नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने की दलील दी गई। वकील अप्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये वकील प्रार्थीनी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीनी के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 685 में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीनी पीढीयो से जिस रास्ता से आना करती है, उसी रास्ते के लिये प्रार्थीया द्वारा नवीन रेकर्डेड रास्ता की मांग की गई है, निरीक्षक भू0 अभिलेख बीजापुर एवं तहसीलदार, बाली ने मौका जांच रिपोर्ट में प्रार्थीया के आवेदन अनुसार अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 686 व 672 की माठ से रास्ता प्रस्तावित किया है, अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) सपठित नियम–68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के प्रावधानो अनुसार अप्रार्थी पक्ष की आपत्तियो को खारिज करते हुये प्रार्थीया को नवीन रेकर्डेड रास्ता दिलाने जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर प्रार्थीया को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा धारा 251(क)(1)(ख) एवं (ii) एवं नियमो के नियम–69(ii) के अन्तर्गत ग्राम पादरला के खसरा नंबर 685, 685/1, 685/2 हैक्टर मे आवागमन हेतु ग्राम पादरला के खसरा नंबर 686 रकबा 0.68 हैक्टर मे से 4X 60 = 240 व.मी. (0.0240 हैक्टर) नया मार्ग तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप नियमो के नियम–70(ii)(क) के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रतिकर राशि निर्धारित कर उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खसरा नंबर	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर) व किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल (व.मी.)	डीएलसी दर 34740/– रूपये प्रति बीघा की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि (डीएलसी दर की दुगुनी)	प्रभावित खातेदार का नाम
686	0.68	4X 60 = 240 व.मी. (0.0240 हैक्टर)	21.71	10422	श्री सुखसिंह पुत्र नाहरसिंह के कामु दलपतसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह दलपतसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह बलवन्तसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह ईश्वरसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह विजयसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह शोभाकंवर पत्नि स्व0 सुखसिंह कमला कंवर पुत्री स्व0 सुखसिंह तमाम जाति राजपुत निवासी पादरला

पेज लगातार..........03

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 4/2019 RCMS No. 2019/00207 *अनवान सोहनकंवर बनाम सुखसिंह के कायम मुकाम वारिशान दलपतसिंह पुत्र स्व0 सुखसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955*

तहसीलदार, बाली के प्रतिवेदनानुसार प्रस्तावित रास्ते मे अन्य कोई क्षति यथा वृक्ष/संरचना/निर्माण कारित नही है। अतः राशि रूपये 10422/– अक्षरे दस हजार चार सौ बाईस रूपये बतौर प्रतिकर उपरोक्त खातेदार को देय होंगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क)(2) के तहत स्वीकृत रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बतौर "रास्ता" राजकीय खाते में दर्ज की जावेगी एवं आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आवेदक को अर्जित नही होगे। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुसार नक्शे में **21.71 वर्गमीटर** नया रास्ता की तरमीम के साथ राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावेगा। आवेदक द्वारा राशि रूपये **10422/–** अप्रार्थी प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी प्रभावित खातेदार/अप्रार्थीगण द्वारा आवेदक से प्रतिकर राशि ग्रहण नही करने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि बतौर अमानत तहसील कार्यालय, बाली में जमा करवाई जावेगी तथा तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त राशि प्रभावित खातेदारान् को उपलब्ध कराई जावेगी। तहसीलदार द्वारा बाली द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार बाली आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि के भुगतान की सुनिश्चितता कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 11-11-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sreenidhi
(श्री श्रीनिधि बी.टी.)
आई.ए.एस.
उप-खण्ड अधिकारी, बाली
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 11-11-2019

क्रमांक : कोर्ट/2019/ 1211–1216

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, बाली/नायब तहसीलदार, बेडा
2. भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर
3. पटवारी हल्का, पादरला
4. तहसील राजस्व लेखाकार, बाली
5. प्रार्थीया श्रीमति सोहनकंवर पत्नि शिवसिंह जाति राजपुत निवासी पादरला

Sreenidhi
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उप-खण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11/11/2019	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय/पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रा.पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर प्रार्थीया को नवीन रेकर्ड रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया गया, जो शामिल मिसल है। आदेश प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) उप - खण्ड अधिकारी, बाली	

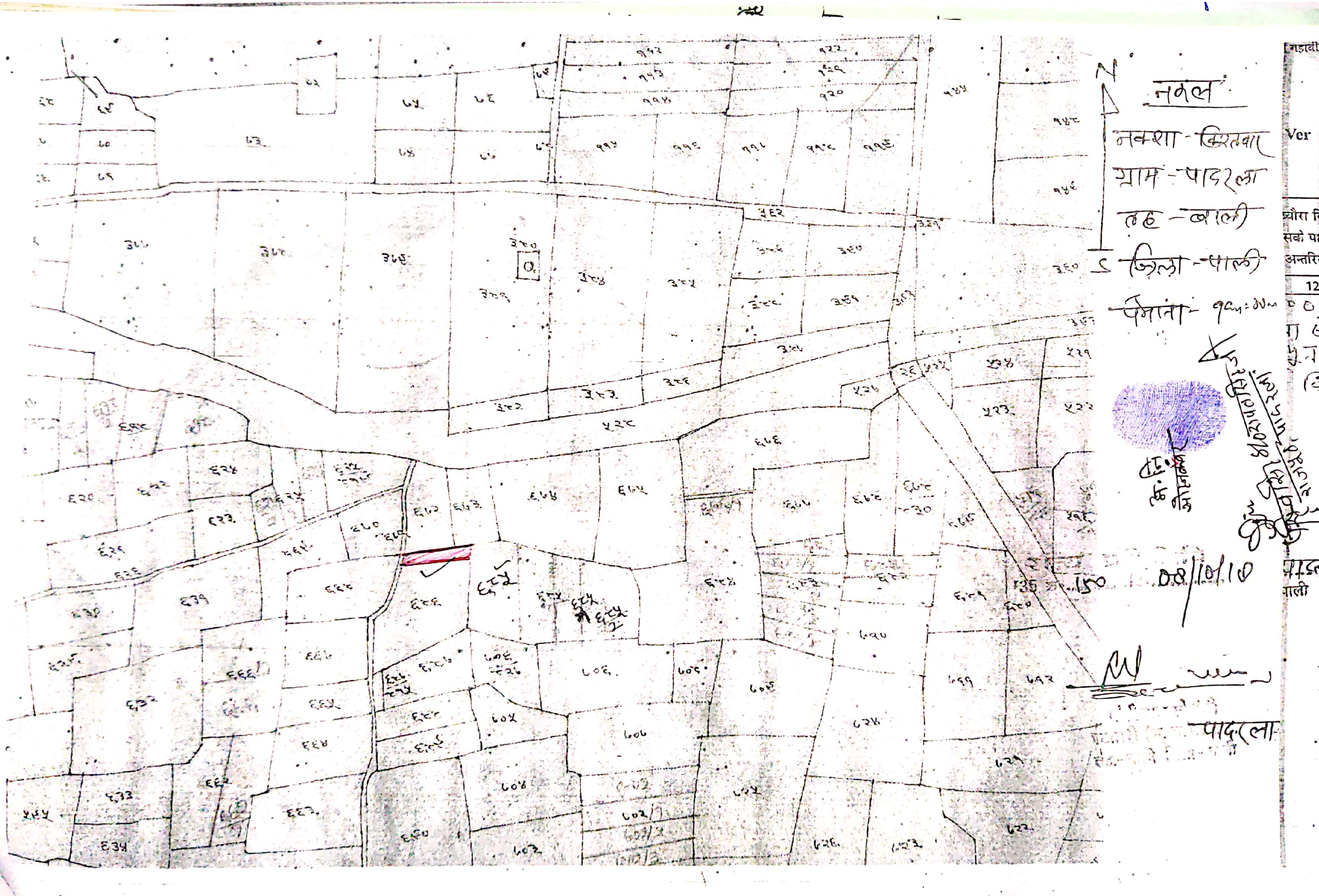

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.12.06 11:55:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: